Presentation of 49th to 53rd Report of Committee on Petitions

श्री हरीश द्विवेदी (बस्ती): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड द्वारा भुगतान जारी करने के अनुरोध के संबंध में श्री उमाकांत मिश्रा के अभ्यावेदन के बारे में 49वां प्रतिवेदन।

(2) पीएसीएल लिमिटेड के निवेशकों की धन वापसी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के कथित मनमाने व्यवहार के संबंध में श्री गौरव कुमार सोनी और अन्य के अभ्यावेदन के बारे में 50वां प्रतिवेदन।

(3) उत्तर-पूर्वी राज्यों, विशेषकर मेघालय और असम में वन भूमि के अतिक्रमण और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में श्री फिलिपसन के अभ्यावेदन के बारे में 51वां प्रतिवेदन।

(4) नवोदय विद्यालय समिति/जवाहर नवोदय विद्यालय (*पूर्ववर्ती* आदर्श विद्यालय) में 1 जनवरी, 2004 से पहले अपनी सेवाएं शुरू करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल किए जाने के अनुरोध के बारे में संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित सर्वश्री योगेंद्र शर्मा, राहुल सिंह, योगेंद्र भक्त, एस. कन्नन, श्रीमती के. मंजुला और अन्य व्यक्तियों/संघों के अभ्यावेदन के बारे में अपने 32वें प्रतिवेदन में याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

(5) पर्यावरणीय विधियों के अनुपालन और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेषज्ञ कार्मिकों को नियोजित करने की आवश्यकता के बारे में श्री विक्रम के अभ्यावेदन पर याचिका समिति के 39वें प्रतिवेदन में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वां प्रतिवेदन ।